

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2026/186772/KPD/KANPUR DEHAT/1962/CFO

दिनांक: 02-02-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **THE JAIN WORLD SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **VILL. MAWAR MATI, KANPUR-JHANSI ROAD, VILL. MAWAR MATI** तहसील - **BHOGNIPUR** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL BUILDING	4	0	14.85 mt.

तथा प्लॉट एरिया **18039.38 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **THE JAIN WORLD SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **03-02-2026** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SRAVAN Jha Mo. 9696609377** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **05-02-2026** से **04-02-2031** तक **5** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ईज ऑफ ड्रूइंग बिजनेस नीति के तहत संस्तुति निम्न प्राविधानों के अधीन की जाती है।

1- As per old NOC No.UPFS-2022-64731-KPD-KANPUR DEHAT-944-CFO DT. 31.10.2022's note. Therefore शासनादेश संख्या: 18/छ:-पु0-8-2022/905(34)/2016 टी0सी0 गृह(पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊ दिनांक: 07.01.2022 में अंकित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत।

2-Occupier should maintain the fire fighting systems round the clock.

3-Occupier should maintain Electrical safety, to prevent outbreak of the fire round (due to short circuit) the clock.

4-Occupier should ensure fire exits to be opened during working hours, to ensure safety of children's. Otherwise this issued NOC will be deemed automatically cancelled.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(PRATEEK SHRIVASTAVA)

निर्गत किये जाने का दिनांक : **05-02-2026**
स्थान : **KANPUR DEHAT**

[278B17DF0447E4D0635C10284A1107EB8B58E50E]

05-02-2026